न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./191/2022/बाड़मेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
1. भगवानाराम पुत्र भैराराम 2. दलूदेवी पत्नी भगवानाराम 3. रामचन्द्र पुत्र भैराराम 4. देवू पत्नी असलाराम जाति जाट निवासी नवातला बाखासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर	1. धर्मराज पुत्र सिमरथाराम 2. हीराराम पुत्र केसाराम जाति सुथार निवासी नवातला बाखासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 3. शाखा प्रबन्धक, एसबीआई शाखा सेड़वा जिला बाड़मेर 4. तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 107/2019 बउनवान धर्मराज वगै. बनाम रामचन्द्र वगै. में पारित आदेश दिनांक 16.12.2022 के विरूद्ध पेश की।

उपस्थित

1. वकील श्री राजेश विशनोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अमीत बोहरा, श्री कैलाशकुमार परिहार रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—01.04.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 के राजस्थान काश्तकारी (संशोधित) अधिनियम के तहत मनगढत व बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 317/156 रकबा 30 बीघा व खसरा संख्या 415/156 रकबा 30 बीघा भूमि मौजा नवातला बाखासर पटवार क्षेत्र नवातला बाखासर तहसील सेड़वा में अवस्थित है। जिससे लगता हुआ विप्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा संख्या 151, 310/315 मोजा नवातला बाखासर प्रार्थीगण के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ते है। प्रार्थीगण को सड़क तक

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलाधीन आलोच्य आदेश दिनांक 17.01.2022 कैम्प कोर्ट में पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 32/2022 पेश की गई जिसका निर्णय दिनांक 03.03.2022 को करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.01.2022 को अपास्त किया गया तथा अधीनस्थ न्यायलाय को आदेशित किया गया कि यथासंभव खसरों के टुकड़े नहीं करते हुए निकटतम रास्ता दिये जाने हेतु उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर बाद समुचित सुनवाई अधिकतम तीन माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करें। श्रीमान न्यायालय के निर्देशों का पालन किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश दिनांक 16.12.2022 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलाधीन आलोच्य आदेश दिनांक 17.01.2022 कैम्प कोर्ट में पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 32/2022 पेश की गई जिसका निर्णय दिनांक 03.03.2022 को करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.01.2022 को अपास्त किया गया तथा अधीनस्थ न्यायलाय को आदेशित किया गया कि यथासंभव खसरों के टुकड़े नहीं करते हुए निकटतम रास्ता दिये जाने हेतु उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर बाद समुचित सुनवाई अधिकतम तीन माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करें। श्रीमान न्यायालय के आदेश पर अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली दिनांक 27.05.2022 को पुनः नम्बर पर लेकर सुनवाई प्रारम्भ की गई तथा पुनः मौका रिपोर्ट तहसील सेड़वा से तलब की गई जिस पर तहसीलदार सेड़वा स्वयं ने मौके पर न जाकर हल्का पटवार व आर आई ने अपने कार्यालय में बैठकर पहले वाली मौका रिपोर्ट के अनुसार ही अपीलांटगण को किसी प्रकार की सूचना/नोटिस दिये बिना ही एकपक्षीय मौका रिपोर्ट तैयार कर उस पर तहसीलदार सेड़वा के प्रति हस्ताक्षर करवाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दी गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व के रास्ते को यथावत रखते हुऐ अपीलांटगण के खेत के दो टुकड़े करते हुऐ

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रास्ता देने हेतु आदेश दिनांक 16.12.2022 को पारित किया गया। श्रीमान न्यायालय के निर्देशों का पालन किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश दिनांक 16.12.2022 पारित किया गया। जबकि रेस्पोडेंट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी अपीलांटगण को परेशान करने के लिए हस्तगत आवेदन पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन जिस मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पारित किया उक्त मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से तैयार की गई। अपीलांट के खेत खसरा संख्या 151 के उत्तरी–पूर्वी सेढे से पूर्व में ही रास्ता निकाला गया जो रास्ता अपीलांट द्वारा ही समर्पित किया गया था तथा अब फिर उसी खसरे में एक ओर रास्ता दिया जा रहा है, साथ ही खसरा संख्या 151 के सेढे से होते हुये आगे खसरा संख्या 155 में से होते हुऐ उत्तरदाता संख्या 01 व 02 के खेत तक रास्ता निकाला जाना विधि सम्मत था ताकि उत्तरदाता संख्या 01 व 02 के साथ–साथ अन्य खातेदारों को भी रास्ता प्रापत हो सकें तथा भविष्य में फिर से अपीलांट के खेत में से रास्ता निकालने हेतु अन्य पड़ौसियों द्वारा रास्ते की मांग न की जावें परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा न कर सम्पूर्ण रास्ता अपीलांट के दोनों खसरा संख्या 151 व 310/150 में ही निकाला गया है जो कतई विधि सम्मत नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश अपीलांटगण की अनुपस्थिति में तैयार मौकाा रिपोर्ट के अनुसार पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पूर्ण पालना करते हुए प्रकरण को दर्ज कर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। अपीलांटस मौका रिपोर्ट तैयार करते वक्त मौके पर उपस्थित थे लेकिन रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया। बी. एस.एफ की ओर से रास्ता दिये जाने पर अनुमित ले कर जाना पड़ता हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ता अपीलांटस के संयुक्त खातेदारी के खेत में किये बाहमी बंटवारे के अनुसार मौके पर बनी माठ के सहारे सहारे दिया गया। अपीलांट की मंशा उत्तरदाता को रास्ता नहीं देने की हैं। अपीलांट द्वारा जिस स्थान से रास्ता देने की बात कही जा रही है वहा पर पूर्व में प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर घर बने हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए जो रास्त प्रस्तावित किया गया उसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटस के इस आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत नजर नहीं आता हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में बाद सुनवाई पश्चात पारित किया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। मौका रिपोर्ट दिनांक 09.11.2022 में स्पष्ट वर्णित है कि माननीय न्यायालय द्वारा खसरों के यथासंभव टुकड़े नहीं करने के निर्देश है परन्तु विकल्प 'ब' में प्रस्तावित रास्ता सीमासुरक्षा बल की चैक पोस्ट के मुख्यद्वार से होकर भारत–पाक तारबंदी की तरफ जाता है जहां आमजन को सुरक्षा कारणों से आवागमन नहीं करने देते है तथा इस प्रस्तावित रास्ते में कुल 01.13 बीघा भूमि प्रयुक्त होगी जबकि विकल्प 'अ' में प्रस्तावित रास्ते में 01.02 बीघा भूमि प्रयुक्त होगी जो निकटतम एवं सुगम है। इस पर कोई कीमती पेड़ मकान आदि नहीं है तथा ख. न. 310/150 के खातेदारान के बाहमी बंटवारे की मेड़ पर रास्ता प्रस्तावित किया गया है इसके अलावा कोई सुगम एवं निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं हैं।" उपरोक्त मौका रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुंचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में आपति की है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका नहीं देखा गया जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के लौट में ऐसे न्यायिक दृष्टांत है जिनमें यह प्रतिपादित किया गया है कि भू अभिलेख निरीक्षक रैंक के कर्मचारी द्वारा रास्ते के मामले में मौका देखा जाना न्यायसंगत है इसलिए अपीलांट की उक्त आपति में कोई सार नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलांटस द्वारा येन केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से हस्तगत अपील पेश की गई। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 107/2019 बउनवान धर्मराज वगै. बनाम रामचन्द्र वगै. में पारित आदेश दिनांक 16.12.2022 को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि उतरदातागण की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु प्रदत्त रास्ते को नियमानुसार सार्वजनिक आवागमन हेतु तुरंत प्रभाव से खुलवा कर सुचारू करे।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 01.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर